न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/25/2016	06–06–2016	30–12–2019

01– भगवान सहाय पुत्र श्री पांचू जाति मीणा
02– रामेश्वरदयाल पुत्र श्री भगवान सहाय जाति मीणा
03– दाफा पत्नी श्री भगवान सहाय जाति मीणा
04– धोली पत्नी श्री रामेश्वरदयाल जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल बानी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

–अपीलांट्स

बनाम

01– मूला पुत्र श्री गणेश जाति मीणा
02– पिंकी पुत्री श्री रामपाल पौत्री प्रभु जाति मीणा
03– बोदू पुत्र श्री प्रभु जाति मीणा
04– कैलाश पुत्र श्री रामपाल पौत्र प्रभु जाति मीणा निवासीयान् ग्राम नांगल बानी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
05– तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0।

–रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार थानागाजी का निर्णय दिनांक 29.03.2016

उपस्थितः–
01–श्री श्योरामसिंह नरूका –वकील प्रार्थी
02–श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल –वकील अप्रार्थीगण सं0 1 से 4

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट्स ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 29.03.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट्स को आराजी मुतनाजा से बेदखल करने व अर्थ दण्ड से दण्डित करने से, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 795 साबिक खसरा नम्बर 87, 87/2 रकबा 04 बीधा 10 बिस्वा वाके ग्राम नांगलबानी पर अपीलांट्स का बुजुर्गों के समय से पिछले 50 वर्षों से रिहायश, घर, छप्पर, ट्यूबवैल, चारदीवारी बनी हुई है। गणेश व प्रभु द्वारा गलत तरीके से फर्जी व नुमाइशी अलोटमैंट स्वंय के हक में करवाया गया था। जिसे निरस्त करवाने के लिए प्रा0पत्र धारा 14(4) भू–आवंटन अधिनियम 1970 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय, अलवर के यहां भगवान सहाय बनाम भू–आवंटन सलाहकार समिति थानागाजी वगै0 विचाराधीन है। अपीलांट्स को बेदखल करने के आदेश विधि विरूद्ध तरीके से किये गये है। विवादित भूमि पर आज भी

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अपीलांट्स का कब्जा व काश्त है। सारा निर्माण आवंटन से पूर्व का है। तभी से अपीलांट्स व उनके बुजुर्ग रिहायश व काश्त करते चले आ रहे है। पटवारी हल्का द्वारा दि0 20.08.2015 को खसरा नम्बर 795 रकबा 1.14 है0 ग्राम नांगलबानी की मौका रिपोर्ट पेश की गयी जिसमे दर्ज किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 795 के पूर्व दिशा में लगभग 0.25 है0 पर भगवान सहाय पुत्र पांचूराम ने कब्जा कर रखा है। जिसमें एक बोरिंग, दो झोपडी, एक घर जिसकी दीवार पक्की है, पत्थर डले हुए है। लगभग दो मीटर नीम खोद रखी है। इसके अलावा शेष रकबा खाली है। उक्त तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। रैस्पो0 आलोच्य निर्णय दि. 29.03.2016 की आड में मिन अपीलांट्स को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। दि. 30.04.2016 को मिन अपीलांट्स के शांतिपूर्वक रिहायश एवं उपयोग–उपभोग में बाधा कारित करने का नाकाम प्रयास किया गया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार थानागाजी का निर्णय दि0 29.03.2016 निरस्त फरमाया जावें। बहस के समर्थन में आरआरटी 2019(1) पेज 281 पेश की है।

वकील रैस्पॉडेन्ट सं0 1 लगा0 4 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि रैस्पो0 विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रैस्पो0 की खातेदारी आराजी पर कब्जा करने पर रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अंतर्गत धारा 183बी प्रा0पत्र पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् मौका जांच कर निर्णय किया गया है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की खातेदारी आराजी पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कब्जा किये जाने पर भी धारा 183बी आरटीएक्ट लागू होती है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमायी जावें। बहस के समर्थन में आरआरटी 2013(2) पेज 1272 एवं आरआरटी 2009(2) पेज 1060 नजिर पेश की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि विवादित आराजी रैस्पो0 की खातेदारी की आराजी है। जिस पर अपीलांट्स द्वारा जबरन कब्जा किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बेदखल कर दण्डित किया गया है। वकील अपीलांट्स द्वारा पेश नजिर आरआरटी 2019(1) पेज 281 उक्त अपील पर चस्पा नहीं होती है। वकील रैस्पो0 द्वारा पेश की नजिरें आरआरटी 2013(2) पेज 1272 एवं आरआरटी 2009(2) पेज 1060 उक्त अपील पर पूर्णतया चस्पा होती है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रेकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील लेख भंडार हो।

निर्णय आज दिनांक 30–12–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)